राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004
Website www.uniraj.ac.in, Email.acad.2uor@gmail.com

क्रमांक : शैक्षणिक द्वितीय/के.प्र.सं./2024/13202 दिनांकः 01.08.2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों/केन्द्रों में संचालित स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. विधि एवं बी.लिब पाठ्यक्रम के अतिरिक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में URATPG, 2024 के तहत नवीन प्रवेश (प्रथम सेमेस्टर) हेतु Phase-II के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की प्रथम वरियता सूची के पश्चात भी अगर सीटे रिक्त रहती है द्वितीय वरियता सूची दिनांक 02.08.2024 को जारी कर दिनांक 03 एवं 05 अगस्त, 2024 को दस्तावेजों की जाँच कर तथा प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों की फीस ऑन-लाईन माध्यम से दिनांक 03 इसे 06 अगस्त, 2024 तक जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. राजस्थान विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में संचालित बी.पी.एड पाठयक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली काउन्सलिंग के अनुसार विभाग के स्तर पर पृथक से प्रवेश संबंधी सूचना जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

3. राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों/केन्द्रों में रेगूलर मोड में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश हेतु न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या की बाध्यता नहीं होगी, जबकि एस.एफ.एस. मोड में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या के संबंध में प्लान एण्ड प्रोजेक्ट अनुभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

4. राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों/केन्द्रों में संचालित स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश हेतु आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों में से इन्ही वर्ग की सीट रिक्त रहने पर इन्ही को ही एक-दूसरे वर्ग से भरने एवं उसके पश्चात भी आरक्षित वर्ग की सूची समाप्त होने पर सीटे रिक्त रहती है तो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सामान्य वर्ग की वरियता सूची अनुसार भरना सुनिश्चित करें।

5. राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों/केन्द्रों में संचालित स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में Phase-II के लिए ऑनलाईन आवेदन करते समय विद्यार्थियों द्वारा भरी गई प्रविष्ठियों में संशोधन जैसे- श्रेणी परिवर्तन, कोर्स प्रोग्राम में परिवर्तन आदि के संबंध में विश्वविद्यालय को प्राप्त व अग्रेषित प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए समिति ने विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय भरी गई प्रविष्ठियों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करते हुए उसे यथावत रखा जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

-Sd-
उप कुलसचिव
(शैक्षणिक-द्वितीय)

क्रमांक : शैक्षणिक द्वितीय/के.प्र.सं./2024/13203-35 दिनांकः 01.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निदेशक इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त "कार्यालय आदेश' को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीया कुलपति/कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

1.8.2024
उप-कुलसचिव
(शैक्षणिक-द्वितीय)